न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 06/2018

RCMS No. 2018/00243

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
1 गुलाबकंवर पत्नी नरपतसिंह 2 परबतसिंह पुत्र नरपतसिंह 3 मनोहरसिंह पुत्र नरपतसिंह 4 भवानीसिंह पुत्र नरपतसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण फतापुरा 5 नन्दाकंवर पुत्री नरपतसिंह पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर 6 कैलाशकंवर पुत्री नरपतसिंह पत्नी हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी कोरटा तहसील सुमेरपुर 7 संतोषकंवर पुत्री नरपतसिंह पत्नी मनोहरसिंह जाति राजपूत निवासी कानपुरा तहसील सुमेरपुर 8 शोभाकंवर पुत्री नरपतसिंह पत्नी अभिमन्युसिंह जाति राजपूत निवासी मादड़ी तहसील आहोर		1. हीरसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी फतापुरा तहसील बाली 2. ग्राम पंचायत गुडालास जरिये सरपंच तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति --

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः–08/10/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, पांचलवाडा हाल ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में मिसल संख्या 33/76–77 में जारी पट्टा संख्या 86 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम फतापुरा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी रहवासीय हवेली स्थित है। जिसमें अलग अलग हिस्सों में प्रार्थी संख्या 1 से 4 व अप्रार्थी संख्या 1 अपने अपने परिवार सहित निवास करते है। उक्त परिसर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के दादा विजयसिंह जी के समय से रहवासीय पुश्तैनी परिसर है। प्रार्थीगण को बिना जानकारी के ही पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र होने का नाजायज एवं अवैध लाभ प्राप्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत पांचलवाडा से विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी मिसल दायर करवाते हुए बिना प्रस्ताव के ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पुश्तैनी परिसर का जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। उपरोक्त पट्टा जारी करने के समय एवं मिसल दायर करते समय अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग थे एवं नाबालिग अवस्था में किसी प्रकार की संविदा करने, पट्टा जारी करवाने का कोई विधिक अधिकार नहीं रहता है। इस प्रकार नाबालिग के पक्ष में जारी किया गया पट्टा भी शून्य प्रभावी होने से खारिज़ योग्य है। उपरोक्त परिसर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तैनी है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं के अकेले के नाम से पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त मिसल एवं जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्धित दस्तावेज ग्राम पंचायत कार्यालय में भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी पट्टा खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 1995 पेज 458, डी0एन0जे0 1996 पेज 453, डी0एन0जे0 2015 (1) पेज 443, डी0एन0जे0 1996 पेज 144 व आर0एल0डब्ल्यू0 2000 (2) पेज 911 में प्रतिपादित सिद्धान्तों की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी वादस्थ भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं अप्रार्थी संख्या 1 अपने अपने हिस्से अनुसार पृथक पृथक निवास कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा समस्त पुश्तैनी भूमि का पट्टा न बनवाया जाकर अपने रहवासीय परिसर का पट्टा बनवाया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत मिसल कायम की गई है तथा उसके पश्चात प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में उक्त रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 किसी भी रूप में दोषी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.06.2018 के जरिये यह अवगत कराया कि वांछित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति विधिक दृष्टि से अनुकूल प्रतीत नहीं होती है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज.) पेज 458 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि "राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961, नियम 255 से 265 – आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है – प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। भूमि क्रय करने हेतु आमत्रंण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई, कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक नीलाम ही हुआ। अभिनिर्धारित यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है।" यही सिद्धान्त प्रस्तुत अन्य न्यायिक सिद्धान्तों में भी पारित किए गए है।

अति० जिला कलक्टर, पाली

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.06.2018 के जरिये अवगत कराया कि प्रकरण में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्टया जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संदेहास्पद प्रतीत होता है। इस हेतु निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे वास्तविक तथ्यों के सम्बन्ध में समुचित जांच के पश्चात कानून के मुताबिक नये सिरे से कार्यवाही की जा सके।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, पांचलवाडा हाल ग्राम पंचायत गुडालास द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में मिसल संख्या 33/76–77 में जारी पट्टा संख्या 86 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत गुडालास को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मौके एवं कब्जे के अनुसार जांच कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 08/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली